...द अहकाम

बनाम

...लय : सहायक कलक्टर, बस्सी

.../प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

...ांक आज्ञा ...कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या ② की ओर से प्रा० पत्र आ० 39 नियम 1, 2 व 4 सपठित धारा 151 पेश किया जो शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते जवाब एवं शेष की इंतजार वास्ते दिनांक 05/5/25 को पेश हो।	
5/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/5/25 का पेश हो	
16/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकुनाय द्वारा कन्डोलेन्स, कार्य स्थगन करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 23/5/25 को पेश हो। 23/5 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/5/25 का पेश हो।	
30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के उपरांत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। ~~पृथक~~ विस्तृत निर्णय पृथक से	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		लिखवाया जाकर पत्रावली में शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 30/5/25

न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारीः- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्याः- 163/2023
जीसीएमएस नम्बर :-2023/333

1. गीता देवी पत्नि बाबूलाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम दनाउकला, तहसील तूंगा, जिला जयपुर।
2. केशरदेवी पत्नि किशोर, जाति रैगर, निवासी ग्राम दनाउकला, तहसील तूंगा, जिला जयपुर।

---प्रार्थीगण

-: बनाम :-

1. परमानन्द पुत्र डालूराम जाबडोलिया, जाति रैगर, निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. कालूराम पुत्र किशोर, जाति रैगर, निवासी ग्राम दनाउकला, तहसील तूंगा, जिला जयपुर।
3. नाथू पुत्र मूल्या, जाति रैगर, निवासी ग्राम दनाउकला, तहसील तूंगा, जिला जयपुर (मृतक) के का0मु0:-
   3/1- बाबूलाल पुत्र नाथूलाल
   3/2- रामनिवास पुत्र नाथूलाल
   3/3- सन्ती पुत्री नाथूलाल
   समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम दनाउकला, तहसील तूंगा, जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक, तूंगा तहसील तूंगा, जिला जयपुर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा, जिला जयपुर।
6. अर्जूनलाल पुत्र रघुनाथ, जाति कोली, निवासी प्लाट नम्बर 113, सन्तोष वाटिका, विजयपुरा, पुरानी चूँगी, लूनियावास, जयपुर।

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0दी0 द्वारा प्रार्थीगण

तथा

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1, 2 व 4 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी द्वारा अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय दिनांक 30.05.2025

संक्षिप्त में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 जाप्ता दीवानी विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया जो दिनांक 13.10.2023 को प्रार्थना पत्र संख्या 163/2023 बउनवानी गीता देवी वगैरह

बनाम परमानन्द वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के अर्न्तगत अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दिनांक 01.05.2025 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1, 2 व 4 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। उक्त वर्णित दोनों प्रार्थना पत्रो पर एकसाथ सुनवाई करके एक ही निर्णय द्वारा उक्त दोनों प्रार्थना पत्रो को निर्णीत किया जा रहा है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 में इस आशय का कथन किया कि प्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त उनवानी वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष सुदृढ आधारो पर पेश किया है जिसमें सफलता मिलने की उन्हें पूर्ण आशा है।

राजस्व ग्राम दनाउकलां, पटवार हल्का दनाउकलां, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र देवगांव, तहसील तूंगा, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या नया 74 पुराना 68 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.6600 हैक्टेयर स्थित है।

उक्त खसरान् की भूमि को "भूमि वादग्रस्त" शब्द से सम्बोधित करते हुए कथन किया कि उक्त भूमि में प्रार्थीनी संख्या 1 का हिस्सा 3/20, प्रार्थीनी संख्या 2 का हिस्सा 1/10 निहित है। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है एवं अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 9/20, अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/10 एंव अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/5 है, जिसका अंकन वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है।

भूमि वादग्रस्त कानूनन अविभाजित भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त चली आ रही है। कानूनन किसी भी सह-काश्तकार को किसी विशिष्ट भू-भाग को अकेले उपयोग-उपभोग करने, कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने, बेचान करने एंव एक-दूसरे के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने का अधिकार नहीं है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को मौखिक रूप से कई मर्तबा भूमि वादग्रस्त का कानूनी रूप से विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 हमेशा विभाजन करवाने में टालमटोल करते आ रहे है, जिसकी वजह से प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि को विकसित नहीं कर पा रही है।

अप्रार्थी संख्या 1 अजनवी क्रेता है जो कि मुख्य सड़क से लगती हुई भूमि वादग्रस्त के विशिष्ट भू-भाग का विक्रय कर भूमि वादग्रस्त पर जबरन निर्माण कार्य करवा कर उसे कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है।

दिनांक 08.10.2023 को प्रार्थीगण अपने हिस्से व स्वामित्व की भूमि देखने गयी तो उस समय अप्रार्थी संख्या 1 अपने साथ कुछ अज्ञात भूमाफिया किस्म के व्यक्तियो को मौके पर लेकर आया एंव उन्हें सड़क से लगती हुई

30/5/25

सम्पूर्ण भूमि दिखाने लगा। इस पर प्रार्थीगण को चिन्ता हुई तथा उसने अप्रार्थी से जाकर पूँछताछ की और पूँछा कि तुम इन्हें हमारे हिस्से की भूमि क्यों दिखा रहे हो तो अप्रार्थी संख्या 1 टालमटोल करने लगा तथा उसने प्रार्थीगण को धमकी दी कि वह भूमि वादग्रस्त का बिना विभाजन कराये ही सड़क से लगती हुई सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करके उसे दीगर व्यक्ति को विक्रय करके रहेगा एंव कृषि भूमि पर जबरन् निर्माण कार्य कर उसे अकृषि में परिवर्तित करके रहेगे।

ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट एंव पार्टीशन एक्ट के प्रावधानो के मुताबिक और इन्ही प्रावधानो पर माननीय सुप्रिम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के मुताबिक जब तक किसी अविभाजित भूमि का विधि के अनुसार विभाजन नही हो जाता तब तक कोई भी अजनबी क्रेता विवादग्रस्त भूमि में कब्जा प्राप्त नही कर सकता और न ही प्रार्थीगण समेत अन्य अप्रार्थी के कब्जे में बेजा दखलन्दाजी कर सकता अर्थात् प्रार्थीगण की शामलाति वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा यदि गैरकानूनी रूप से अपने हिस्से का बेचान कर अजनबी क्रेता को कब्जा सम्भलाया जाता है तो उससे उपरोक्तानुसार कानून का उल्लंघन होगा और कानूनी पेचिदगियां भी उत्पन्न नही होगी क्योंकि अभी तक कानूनन यह तय नही है कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन होने की दशा में कौनसा हिस्सा किस पक्षकार को प्राप्त होगा, इसलिये उक्त तमाम परेशानियों से बचने के लिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

उक्त परिस्थितियो में प्रार्थीगण का शामलाति में काश्त करना सम्भव नही है एंव प्रार्थीगण अधिकारी है कि वह भूमि वादग्रस्त में अपने हिस्से का विधिवत् विभाजन यथासंभव कब्जे काश्त के अनुसार अथवा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स करवा कर अपना खाता व लगान पृथक से कायम करावे एंव अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वह प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वंय करे, ना ही किसी अन्य से करावे, ना ही सड़क से लगती हुई भूमि वादग्रस्त के विशिष्ट भू-भाग का विक्रय करे, ना ही विक्रय पत्र पंजीबद्ध करावे, भूमि वादग्रस्त में निर्माण कार्य नहीं करे, ना ही भूमि वादग्रस्त को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करे, उक्त समस्त कार्य ना तो स्वंय करे, ना ही अपने किसी एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से करावे तथा मौके एंव राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

यदि दौराने दावा अप्रार्थी संख्या 1 ने सड़क से लगती हुई सम्पूर्ण भूमि वादग्रस्त के विशिष्ट भू-भाग का विक्रय कर दिया एंव जबरन् भूमि वादग्रस्त पर निर्माण कार्य कर प्रार्थीगण को जबरन् बेदखल करवा दिया तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति वाद में सफलता प्राप्त होने पर भी नहीं होगी तथा व्यर्थ में ही मुकदमेंबाजी बढ़ेगी।

प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केश स्पष्ट है एंव सुविधा का सन्तुलन भी उनके पक्ष में है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को तादावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह राजस्व ग्राम दनाउकलां, पटवार हल्का दनाउकलां, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र देवगांव,

30/5/25

तहसील तूंगा, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या नया 74 पुराना 68 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.6600 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वंय करे, ना ही किसी अन्य से करावे, ना ही भूमि वादग्रस्त के विशिष्ट भू-भाग का विक्रय करे, ना ही विक्रय पत्र पंजीबद्ध करावे, ना ही जबरन् भूमि वादग्रस्त में निर्माण कार्य करे, ना ही भूमि वादग्रस्त को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करे, उक्त समस्त कार्य ना तो स्वय करे, ना ही अपने किसी एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधी इत्यादि से करावे तथा मौके एंव राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2023 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की अन्तरिम अनुतोष पर एकपक्षीय बहस सुनकर अन्तरिम व्यादेश दिनांक 13.10.2023 पारित कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम व्यादेश से पाबन्द किया गया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230 कुल किता 8 कुल रकबा 1.6600 हैक्टेयर स्थित ग्राम दनाउकलां, तहसील तूंगा, जिला जयपुर में आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.11.2023 तक अप्रार्थीगण मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

दिनांक 06.11.2023 को श्री सुधीर शर्मा एडवोकेट ने अर्जूनलाल पुत्र रघुनाथ, जाति कोली, निवासी प्लाट नम्बर 113, सन्तोष वाटिका, विजयपुरा, पुरानी चूँगी, लूनियावास, जयपुर की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 पेश किया। दिनांक 14.06.2024 को वकील वादी ने संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल मिसल है। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया जो शामिल मिसल है। प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई। दिनांक 24.06.2024 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 स्वीकार कर अर्जूनलाल पुत्र रघुनाथ को अप्रार्थी संख्या 6 के रूप में पक्षकार संयोजित किये जाने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 25.07.2024 को प्रार्थना पत्र बावत् शीघ्र सुनवाई स्वीकार होने से पत्रावली को नम्बर पर ली गई। दिनांक 19.12.2024 को अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 03.01.2025 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर के पत्रांक कोर्ट/2024/1914 दिनांक 23.12.2024 द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 258/2024 प्राप्त हुआ, जिसका बिन्दुवार टिप्पणी भिजवाई जाकर पत्रावली वास्ते इन्तजार निर्देश में आगामी पेशी नियत की गई। दिनांक 03.04.2025 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर के निर्णय दिनांक 10.02.2025 के द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। वादी/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 03.01.2015 को जवाब प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया जो शामिल मिसल है। उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। आदेश दिनांक 08.04.2025 पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र

30/5/25

अर्न्तगत आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 स्वीकार किया गया तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया।

दिनांक 01.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से आदेश 39 नियम 1, 2 व 4 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया जो शामिल मिसल है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1, 2 व 4 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 में इस आशय का कथन किया कि उक्त प्रकरण में वाके दनाउकला, पटवार हल्का देवगांव, तहसील तुंगा स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 221, 222, 225 लगायत 230 कुल किता 8 कुल रकबा 1.6600 हैक्टेयर भूमि वादग्रस्त है तथा मिन विपक्षी उक्त भूमि के हिस्सा 1/10 का खातेदार काबिज काश्तकार है।

प्रकरण में दिनांक 13.10.2023 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी जाकर भूमि वादग्रस्त के मौके एवं रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश पारित किये गये थे।

प्रकरण मे दौराने दावा आदेश दिनांक 13.10.2023 के प्रभावी होने के बावजूद भी अप्रार्थी सख्या 1 परमानंद द्वारा वादग्रस्त भूमि में शामिल खसरा नं 227, 228 के हिस्सा 409/1020 व शेष खसरा नम्बरान हिस्सा 9/20 का विक्रय पत्र अप्रार्थी अर्जुनलाल के हक में दिनांक 30.10.2023 को पंजीकृत करवा दिया। दिनांक 30.10.2023 विक्रय पंजीयन के समय अप्रार्थी संख्या 6 को अन्तिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13.10.2023 की बखूबी जानकारी थी। इस तथ्य के पुष्टि विक्रय पत्र पर मौजूद स्थगन आदेश के पृष्ठांकन से होती है। बावजूद इसके अप्रार्थी सख्या 6 द्वारा न्यायालय हाजा की तोहीन करते हुए स्वयं के हक में विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पेश किया जो न्यायालय हाजा द्वारा जरिये आदेश दिनांक 24.06.2024 स्वीकार फरमाया जाकर अर्जुनलाल को बतौर अप्रार्थी संख्या 6 पक्षकार सयोजित करने को आदेश पारित किया गया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 13.10.2023 पारित करते समय अप्रार्थी संख्या 6 प्रकरण में पक्षकार नहीं था तथा अन्तरिम आदेश की जानकारी के पश्चात अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा न्यायालय हाजा की तोहीन करते हुए विकय पत्र दिनांक 30.10.2023 स्वयं के हक में पजीकृत करवाया। बावजूद इसके अप्रार्थी संख्या 6 ने अपने ही बेजा कृत्य का फायदा उठाने की गरज से न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए दिनांक 19.12.2024 को, पक्षकार सयोजित करने के आदेश दिनाक 14.06.2024 के

30/5/25

पश्चात 8 तारीख पेशी गुजर जाने के बाद, एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर निम्नानुसार दादरसी चाही- "अतः प्रार्थना पत्र ------ भूमि वादग्रस्त के समय 23.10.2023 पारित एकपक्षीय अन्तरिम स्टे आदेश को संशोधित कर इस हद तक अपास्त फरमाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 6 के नाम से दिनांक 30.10.2023 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर क्रय की गई भूमि का नांमान्तरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार तुंगा व पटवारी हल्का दनाउकलां को आदेश प्रदान किया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 03.04.2025 को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 6 की बहस सुनी गई तथा जरिये आदेश दिनांक 08.04.2025 उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया- "अतएव न्यायालय द्वारा पारित अंन्तरिम व्यादेश दिनांक 13.10.2023 को अपास्त किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु न्यायहित में अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली दिनांक 01.05.2025 को पेश हो।"

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि मिन विपक्षी संख्या 2 के पिता मूलचंद द्वारा विरासत में छोडी गयी भूमि है तथा श्री मूलचंद ने अपने जीवन काल में ही मिन विपक्षी संख्या 2 सहित अपने पांचो पुत्र किशोर, कानाराम, नारायण, व जगदीश में भूमि वादग्रस्त का बंटवारा कर दिया गया था एवं पाचो पुत्रो को अपने हिस्से की भूमि का असालतन कब्जा मोके पर तन्हा सुपुर्द कर दिया था तदानुसार ही श्री मूलचंद के पांचो पुत्रान् अपने अपने विशिष्ठ हिस्से पर काबिज चले आ रहे थे उक्त बंटवारे की यादास्त भी बही में तहरीर की गई थी जो श्री नारायण के पास मौजूद थी उक्त बंटवारे में खसरा नम्बर 225 व 227 सम्पूर्ण मिन अप्रार्थी के पिता के हिस्से आई थी जिस पर मिन अप्रार्थी आज भी काजिब है।

उपरोक्तानुसार हुए बंटवारे के बाद भी जगदीश, नारायण, कानाराम, ने भूमि वादग्रस्त में शामिल सभी खसरा नम्बरान की बाबत विक्रय पत्र दीगर शख्स के हक में पंजीकृत करवा दिया गया। तत्पश्चात उक्त व्यक्ति द्वारा अप्रार्थी सख्या 1 के हक में सभी खसरा नम्बरान के हिस्सा 9/20 का विक्रय पत्र पजीकृत करवा दिया गया। जबकि अप्रार्थी सख्या 1 कभी भी भूमि वादग्रस्त के किसी भी हिस्से पर असालतन काबिज नही रहा है।

वास्तव में हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा दायर करने के बाद अप्राथी संख्या 1 ने वादीगण / अप्रार्थीगण को अपने प्रभाव में ले लिया और उनकी शह पर ही अप्रार्थी संख्या 6 ने विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2023 अपने हक में पंजीकृत करवा लिया। इस स्तर पर यह उल्लेख किये जाने योग्य है कि प्रार्थीगण द्वारा कभी भी मिन अप्रार्थी को इस प्रकरण के बाबत् कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही न्यायालय हाजा द्वारा आज दिन

30/5/25

तक मिन अप्रार्थी को कोई नोटिस/समन जारी किये गये। मिन अप्रार्थी भूमि वादग्रस्त रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है तथा हस्तगत प्रकरण विभाजन का होने के कारण मिन विपक्षी को भी प्रार्थी वादीगण के समान ही अधिकार प्राप्त है।

प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 6 ने आपस मे मिली-भगत कर आदेश दिनांक 08.04.2025 पारित करवाया है तथा उक्त आदेश के फलस्वरूप स्थगन आदेश अपास्त होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 6 बलपूर्वक मिन अप्रार्थी को पूर्ववर्णित तकासमें के अनुसार प्राप्त खसंरा नं. 225 व 227 से बेदखल करना चाहता है तथा आदेश दिनांक 08.041.2025 के पश्चात विपक्षी संख्या 6 ने स्वयं के नाम भूमि वादग्रस्त का नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया है जिसके आधार पर वह पुनः भूमि वादग्रस्त का बेचान करने पर आमादा है।

वर्तमान में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा लम्बित है तथा प्रार्थना पत्र का गुणावगुण कर निस्तारण होने में समय लगना अवश्य संभावी है ऐसी सूरत में उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक प्रकरण के पक्षकारान को अन्तरिम निषेधाज्ञा से पांबद कर भूमि वादग्रस्त के मौके एवं रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखने के बाबत पांबद नहीं फरमाया तो पूर्व की भांति प्रकरण में वाद बाहुलता बढेगी तथा मिन अप्रार्थी को नाकाबिले तालाफी नुकसान होगा।

प्रकरण में पूर्व में भी न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित फरमाये गये थे तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित परिस्थितियों में प्रकरण में पुनः सभी पक्षकारान को अन्तरिम निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

मिन विपक्षी को दिनांक 28.04.2025 से पूर्व प्रकरण से कोई जानकारी नही थी। दिनांक 28.04.2025 को विपक्षी संख्या 6 अपने साथ 10-15 लोग लेकर भूमि वादग्रस्त पर गया और मिन विपक्षी को बेदखल करने का प्रयास किया एवं सड़क से लगते हिस्से पर जबरन कब्जा करना चाहा, इस दौरान ही अप्रार्थी संख्या 6 ने प्रकरण हाजा का जिक्र किया। इसके पश्चात मिन विपक्षी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर पत्रावली का अवलोकन किया और प्रार्थी / वादीगण एवं विपक्षी संख्या 6 के षड्यत्र की जानकारी होने पश्चात स्वत: ही प्रकरण हाजा मे हाजिर होकर हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मे मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर पक्षकारान को भूमि वादग्रस्त के मौके एव रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु पांबद किये जाने का आदेश फरमावे।

30/5/25

दिनांक 23.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 2, 3/1 ता 3/3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया जो अंकित मिसल है।

अप्रार्थी संख्या 2, 3/1 ता 3/3 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए इस आशय का कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र/प्रार्थना पत्र में तथ्यो को छिपाया गया है तथा मिथ्या आधारो पर प्रार्थना पत्र/वाद पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है।

दावा दायरी के समय पक्षकारान् का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा सही दर्ज किया गया है, जो कि स्वीकार है। लेकिन दौराने दावा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 227 व 228 का हिस्सा 409/1020 तथा शेष खसरा नम्बरान् में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 9/20 अनुचित रूप से न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 13.10.2023 की अव्हेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 6 के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.10.2023 को पंजीकृत करवा दिया गया है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 31.10.2023 विधि विरूद्ध एंव वाद लम्बित रहने के दौरान पंजीकृत करवाया गया होने के कारण लिसपेन्डेन्सी से बाधित है। जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 6 को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते है।

प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर न्यायालय हाजा को धोखा देने की गरज से वास्तविक तथ्यो को छिपाकर मिथ्या तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वास्तव में उक्त भूमि प्रार्थी एंव मिन अप्रार्थीगण के पिता मूलचन्द के द्वारा छोड़ी गई विरासत की भूमि है। श्री मूलचन्द ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि वादग्रस्त का बंटवारा कर अपने-अपने तन्हा हिस्से की भूमि अपने पांचो पुत्रो क्रमशः किशोर, कानाराम, नारायण, जगदीश एंव अप्रार्थी कालूराम को तन्हा सुपुर्द कर दी थी। उक्त बंटवारानामा की यादास्त भी बही में तहरीर की गई थी जो नारायण के पास मौजूद थी। उक्त बंअवारा के तहत खसरा नम्बर 225 व 227 की सम्पूर्ण भूमि मिन अप्रार्थी संख्या 2 को दी गई थी तथा खसरा नम्बर 221, 222 व 226 का दक्षिणी आधा हिस्सा तूंगा-देवगांव सड़क से लगता हुआ व अप्रार्थी संख्या 3 नाथूलाल को दिया गया था। मिन अप्रार्थी संख्या 3/1 ता 3/3 नाथूलाल के वारिसान है तथा पक्षकारान् उक्त तकासमे के अनुसार ही अपने-अपने विशिष्ट हिस्से पर तन्हा काबिज हो चुके थे। पक्षकारान् अनुसूचित जाति से सम्बन्ध है तथा अनपढ व ग्रामीण परिवेश के होने के कारण अपने पिता के जीवनकाल में हुए तकासमे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं करवा सके।

उक्त तकासमे के पश्चात जगदीश नारायण व कानाराम ने अनुचित रूप से राजस्व रिकार्ड के सम्पूर्ण खसरा नम्बरान् के अपना नाम बतौर खातेदार अंकित होने का नाजायज फायदा उठाते हुए बावजूद तकासमे के भूमि वादग्रस्त सम्पूर्ण के हिस्सा 9/20 का विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पंजीकृत करवा दिया। लेकिन उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ना तो अप्रार्थी संख्या 1 कभी भूमि वादग्रस्त पर काबिज रहा, ना ही अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 के हक में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2023 के आधार पर अप्रार्थी संख्या 6 कभी भी भूमि वादग्रस्त के किसी भी हिस्से पर असालतन काबिज रहा है।

30/5/25

जब पूर्ववर्ती मद में वर्णितानुसार पक्षकारान् के बीच तकासमा मूलचन्द के जीवनकाल में ही हो चुका था तो प्रार्थीगण के द्वारा अन्य खातेदारान् को विभाजन के लिए निवेदन करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं है कि वह मिन अप्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 3 के हिस्से में आई सड़क से लगती हुई भूमि के किसी भूमि भाग पर जबरिया कब्जा करे अथवा कोई निर्माण करे। खसरा नम्बर 227 की सम्पूर्ण भूमि मिन अप्रार्थी के तन्हा स्वामित्व, खातेदारी एंव कब्जे की भूमि है, जिस पर ना ही तो अप्रार्थी संख्या 1 का हक अथवा हिस्सा है, ना ही अप्रार्थी संख्या 6 का कोई अधिकार निहित है।

प्रार्थीगण के द्वारा भूमि वादग्रस्त को अविभाजित भूमि बताया गया है जबकि जवाब प्रार्थना पत्र की पूर्ववर्ती मदो में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भूमि वादग्रस्त तकासमा मूलचन्द के जीवनकाल में ही उनके पांचो पुत्रान के बीच हो चुका था तथा उक्त पांचो पुत्र उक्त तकासमे से पाबन्द है। विधिक रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 6 भी उक्त तकासमे से पाबन्द है। इस कारण प्रार्थीगण अथवा अप्रार्थी संख्या 1 भूमि वादग्रस्त का पुनः बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा करवाने की अधिकारी नहीं है बल्कि भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में केवल मात्र पूर्व में हुए तकासमे के अनुसार ही विभाजन एंव राजस्व रिकार्ड में तदानुसार इन्द्राज किया जा सकता है।

प्रार्थीगण भूमि वादग्रस्त का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स पुनः तकासमा करवाने का अधिकारी नहीं है बल्कि स्व0 मूलचन्द के समय हुए बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपना पृथक खाता व लगान कायम करवाने के अधिकारी हैं।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विशिष्ट भू-भाग का विक्रय किया जाना अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 को सड़क से लगते हुए भूमि वादग्रस्त के किसी भी भू-भाग को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। बावजूद इसके अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 6 जबरन् मिन अप्रार्थी के सड़क से लगते हुए खसरा नम्बर 227व अप्रार्थी संख्या 3 के सड़क से लगते हुए खसरा नम्बर 221, 222 व 226 पर कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 अथवा अप्रार्थी संख्या 6 अपने बैजा उद्धेश्य में सफल हो जाते है तो मिन अप्रार्थी को भी अपूर्णीय क्षति होगी तथा वाद बाहुलता भी बढेगी।

प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा दावा दायरी के पश्चात न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 13.10.2023 को अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित करते हुए अप्रार्थीगण को मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थे। बावजूद इसके अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा भूमि वादग्रस्त के खसरा नम्बर 227 व 228 हिस्सा 409/1020 व शेष खसरा नम्बर का सम्पूर्ण हिस्सा 9/20 के बाबत् विक्रय पत्र दिनांक 23.10.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 के हक में करवा दिया गया। न्यायालय हाजा के द्वारा बावजूद सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी के अप्रार्थी संख्या 6 को उसके दुष्कृत्य का फायदा देते हुए अनुचित रूप से वाद में पक्षकार संयोजित किया गया। तत्पश्चात न्यायालय हाजा के द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 13.10.2023 को आदेश 39 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत अपास्त किया गया। न्यायालय हाजा के द्वारा उक्त दोनों आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर कत्तई गौर नहीं

30/5/25

गया कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश होने के दौरान भी न्यायालय हाजा के आदेश की अव्हेलना करते हुए वादग्रस्त की बाबत् विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया तथा उक्त विक्रय के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को पक्षकार संयोजित किया गया। न्यायालय हाजा के द्वारा इस तथ्य पर कत्तई गौर नहीं किया गया कि यदि अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा भी दौराने दावा भूमि वादग्रस्त में अपने हिस्से का विक्रय किसी तीसरे शख्स के हक में पंजीकृत करवा दिया गया तो न्यायालय हाजा पुनः क्रेता को पक्षकार बनाना पड़ेगा जो न्यायालय हाजा के समक्ष लम्बित का कभी भी विनिश्चय नहीं होगा जो विधि की मंशा के प्रतिकूल है। वाद विभाजन का वाद है, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को वादी के समान अधिकार प्राप्त होते है। ऐसी सूरत में मिन अप्रार्थी को भी यह पूर्ण व अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी प्रार्थना पर पक्षकारान् को ताफैसला वाद के वादग्रस्त के बाबत् मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने बाबत् करवावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रकरण में ता-फैसला वाद वादग्रस्त भूमि के मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने बाबत् पक्षकारान् को पाबन्द फरमावे।

दिनांक 23.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया तथा फर्द दस्तावेज मय दस्तावेज पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

अप्रार्थी संख्या 6 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए इस आशय का कथन किया कि प्रार्थीगण का वाद पत्र ही कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सह-खातेदारों के मध्य कोई विवाद नहीं है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सह-खातेदार उक्त भूमि पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदारी इन्द्राज के आधार पर काबिज है एवं उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 6 अपने हिस्से व खातेदारी की भूमि पर रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर काबिज काश्त है एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का विधिवत विभाजन करवाने हेतु सहमत है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में संशोधन करवाकर अप्रार्थी संख्या 6 का हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के आधार पर अंकित नहीं किया हैं।

प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का दावा दायरी से पूर्व ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सह-खातेदारों ने आपसी सहमति से व मनबंट से व मौखिक रूप से विभाजन कर लिया था एवं अप्रार्थी संख्या । ने अपने हिस्से की भूमि में से ही बेचान अप्रार्थी 6 को जरिये रजि. विक्रय पत्र के किया है एवं कब्जा अपनी कब्जेशुदा भूमि पर संभलाया था एवं अप्रार्थी संख्या 6 प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का विभाजन नियमानुसार व कब्जे को ध्यान में रखते हुये करवाने हेतु सहमत है।

30/5/25

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से व कब्जे की भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 6 को किया है एवं इस कारण प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं होगी एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उत्तारदाता/अप्रार्थी संख्या 6 को अपूरनीय क्षति होगी।

प्रथम दृष्ट्या केस का बिन्दु व सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्राथी संख्या 6 के पक्ष में है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 6 का काबिज रिकार्डेड सह-खातेदार काश्तकार है एवं सह-खातेदार अन्य सह-खातेदारों के विरुद्ध कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 तथा अप्रार्थी संख्या 2 के प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1, 2 व 4 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर एकसाथ बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यो व पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी सबूतो के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरण, तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दु साबित है, इत्यादि तर्को के आधार पर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2, 3/1 ता 3/3 ने अपने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1, 2 व 4 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए सभी पक्षकारान् को विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 6 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने का निवेदन किया।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा विधि में स्थापित विधिक प्रावधानो के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा विधि के तीन प्रमुख घटक 1-प्रथम दृष्ट्या केस,

30/5/25

2-तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन व 3-अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओ पर विवेचन व विश्लेषण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रथम दृष्ट्या प्रकरण- प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि राजस्व ग्राम दनाउकलां, पटवार हल्का दनाउकलां, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र देवगांव, तहसील तूंगा, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या नया 74 पुराना 68 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.6600 हैक्टेयर स्थित है। उक्त खसरान् की भूमि को "भूमि वादग्रस्त" शब्द से सम्बोधित करते हुए कथन किया कि उक्त भूमि में प्रार्थीनी संख्या 1 का हिस्सा 3/20, प्रार्थीनी संख्या 2 का हिस्सा 1/10 निहित है। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है एवं अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 9/20, अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/10 एंव अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/5 है, जिसका अंकन वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। भूमि वादग्रस्त कानूनन अविभाजित भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ अर्थात् दावा दायरी दिवस को राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 प्रस्तुत की गई है जिसके खाता संख्या नया 74 पुराना 68 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230 कुल खसरे 8 कुल रकबा 1.6600 हैक्टेयर की खातेदारी केशरदेवी पत्नि किशोर हिस्सा 1/10 जाति बलाई साकिन देह खातेदार, कालूराम पुत्र किशोर हिस्सा 1/10 जाति बलाई साकिन देह खातेदार, गीतादेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 3/20 जाति बलाई साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा 3/20 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बस्सी, नाथू पुत्र मूल्या हिस्सा 1/5 जाति बलाई साकिन देह खातेदार राहिन हिसा 1/5 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा बस्सी, परमानन्द पुत्र डालूराम जाबडोलिया हिस्सा 9/20 जाति रैगर साकिन चतरपुरा तहसील सांगानेर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। सह-खातेदार नाथू पुत्र मूल्या दौराने वाद फौत होने पर उसके वारिसान को मृतक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर विवादित भूमि दावा दायरी दिवस को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही है। उक्त राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण साबित है।

जहाँ तक प्रश्न अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का है। अप्रार्थी संख्या 6 के दौराने वाद एंव दौराने अन्तरिम व्यादेश दिनांक 13.10.2023 प्रभावशील रहने की अवधि में विवादित भूमि का हिस्सा 9/20 क्रय कर नामान्तरकरण संख्या 1077 दिनांक 16.04.2025 बेचान से स्वीकृत कराकर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 228 पुराना 74 में अप्रार्थी संख्या 1 परमानन्द के स्थान पर अपना नाम सह-खातेदार के रूप में दर्ज कराया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज खातेदारी प्रविष्टि का प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2, 3/1 ता 3/3 के खातेदारी अधिकारो पर क्या प्रभाव/असर है, इसका विनिश्चय वाद पत्र में पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनो के आधार पर तनकी कायम की जाकर तथ्यो,

8/05/25

दस्तावेजो व कानून की परिधी के अर्न्तगत किया जाना सम्भव है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में दावा दायरी दिवस की स्थिति पर ही विचार किये जाने की अपेक्षा है। उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो व फर्द दस्तावेज के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण साबित होने का बिन्दु विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होता है।

तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति- प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित पाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने भी सभी पक्षकारान् को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 6 पत्रावली पर मौजूद राजस्व अभिलेख जमाबन्दियो के आधार पर विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में वाद की विषयवस्तु को सुरक्षित रखने के आशय से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने में ही सुविधा का सन्तुलन निहित है। उभय पक्षकारान् को विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखने हेतु पाबन्द नहीं किये जाने पर विवादित भूमि आगे से आगे विक्रय करने की सम्भावना है, जिससे वाद बाहुलता होने व प्रकरण में कानूनी पेचिदगियां उत्पन्न होना सम्भावित है। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति भी सभी पक्षकारान् को होना सम्भावित है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1, 2 व 4 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान् को वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायी रखने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतएव प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1, 2 व 4 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान् को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम दनाउकलां, पटवार हल्का दनाउकलां, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र देवगांव, तहसील तूंगा, जिला जयपुर की सरहद के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 74 पुराना 68 तथा जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 228 पुराना 74 की विवादित भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.6600 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वंय करे, ना ही किसी अन्य से करावे, ना ही भूमि वादग्रस्त के विशिष्ट भू-भाग का विक्रय करे, ना ही विक्रय पत्र पंजीबद्ध करावे, ना ही जबरन् भूमि वादग्रस्त में निर्माण कार्य करे, ना ही भूमि वादग्रस्त

30/5/25

को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करे, उक्त समस्त कार्य ना तो स्वय करे, ना ही अपने किसी एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधी इत्यादि से करावे तथा उभय पक्षकारान् विवादित भूमि के मौके एंव राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.25 को सरे इजलास में सुनाया गया।

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर।